

पंजीकरण पुस्तिका



अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-5
में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत

एस.बी.आई. एन्क्लेव विस्तार

रेरा पंजीकरण सं. : UPRERAPRJ435308

Website : www.up-rera.in

में 2 BHK एवं 3 BHK

फ्लैट्स प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>; E-mail : upavp@sancharnet.in

पंजीकरण : 07-10-2021 से 07-11-2021 तक



- टाउनशिप में समस्त जन उपयोगी सुविधाओं तथा होटल, मल्टीप्लेक्स/शॉपिंग माल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, स्कूल आदि की समुचित व्यवस्था।
- टाउनशिप की चौड़ी सड़कों, बड़े चौराहों, रेलवे ओवरब्रिज के द्वारा सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड़, वृन्दावन योजना, गोमती नगर विस्तार योजना, पी0जी0आई0, एयरपोर्ट आदि से सीधी कनेक्टिविटी।
- सुल्तानपुर रोड से योजना के मध्य में 45मी0 चौड़ी मास्टर प्लान सड़क जो उत्तरठिया रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ओवरब्रिज द्वारा वृन्दावन योजना से होती हुई पी0जी0आई0 एवं रायबरेली रोड़ को जोड़ेगी।
- एस0बी0आई0 इन्क्लेव निर्माण स्थल से उत्तरठिया स्टेशन की दूरी मात्र 400मी0, जी0डी0 गोयन्का स्कूल की दूरी लगभग 600मी0 एवं मेदान्ता अस्पताल लगभग 500मी0 तथा अवध शिल्पग्राम से 200 मी0 दूर है।

एस.बी.आई. एन्वलेव फेज-2



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से क्रियान्वित करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य—

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानीवर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण कराना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवनों का निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्तियों के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

SITE PLAN



SITE PLAN



2 BHK & 3 BHK - CLUSTER PLAN



2 BHK

3 BHK


1 ST FLOOR TO 11 TH FLOOR

TYPICAL FLOOR PLAN

2 BHK - UNIT PLAN



2 BHK - ISOMETRIC VIEW



3 BHK - UNIT PLAN



3 BHK - ISOMETRIC VIEW



परियोजना का विवरण

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ पेश करते हैं आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित अति विशिष्ट उपनगरी अवध विहार योजना में एस०बी०आई० इन्क्लेव फेज-2 स्ववित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना (विशिष्ट पंजीकरण प्रथम चरण) के अन्तर्गत फ्लैट्स निर्मित किया जायेगा।

एस०बी०आई० इन्क्लेव फेज-2 में निम्नलिखित सुविधाओं सहित 2बी०एच०के० 44 नग एवं 3बी०एच०के० 44 नग फ्लैट निर्मित किये जाने है :-

क्र०सं०	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट की संख्या	सुपर एरिया लगभग (वर्ग मी०)	कार्पेट एरिया (वर्ग मी०)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख में)	चयन के पश्चात् मांगपत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु० लाख में)	अवशेष भुगतान नौ त्रैमासिक किश्तों (प्रत्येक किश्त की धनराशि) (रु० लाख में)	प्राविधान
1	2 BHK	44	84.98	66.82	46.38	2.32	14.36	3.30	ड्राइंग / डाइनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 2 बालकनी, 2 टायलेट
2	3 BHK	44	119.23	94.20	65.39	3.27	26.12	4.00	ड्राइंग / डाइनिंग रूम, 3 बेड रूम, किचन, 2 बालकनी, 3 टायलेट

नोट:- उक्त फ्लैट्स के प्रस्तावित विक्रय मूल्य में विधायी टैक्स सम्मिलित नहीं है, जो आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।

पलैट्स की विशिष्टियां

स्ट्रक्चर : भूकम्प रोधी निर्माण ।

फर्श : ड्राईंग—डायनिंग एवं बेड रूम में विट्री फाइडटाइल, कॉमन एरिया में कोटास्टोन ।

किचेन : कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट / प्लेटफार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक ।

ट्वायलेट : फर्श पर ऐन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में इंडियन एवं अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक—एक वॉशबेसिन तथा क्रोम प्लेटेड फिटिंग्स ।

दरवाजे : मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे आई0एस0आई0 मार्क फ्लशडोर शटर्स, चौखट मलेशियन सालवुड / एंगिल आयरन ।

खिडकियाँ : कम्पोजिट यू0पी0वी0सी0 विन्डोफ्रेम एवं शटर्स मच्छरजाली ।

रंगरोगन : भीतरी दीवारों व छत पर आयल बाउण्ड पेंट तथा बाहरी सतह पर वाटरप्रूफ वेदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट / पालिश ।

जलापूर्ति : सभी पलैट हेतु छत पर आर0सी0सी0 का संयुक्त टैंक ।

विद्युत : अग्निरोधक पी0वी0सी0 कापर कन्सीलड वायरिंग एवं पावर व ए0सी0 प्वाइन्ट का प्राविधान, जनरेटर द्वारा सीमित पावर—बैंकअप का प्राविधान ।

स्टेयरकेस : कोटास्टोन, आयरन पाइप रोलिंग ।

डोर : आई0एस0आई0 मार्क एल्यूमिनियम / एस0एस0 फिटिंग्स ।

अन्य : परिसर बाउण्ड्रीवॉल एवं गेटसहित ।

:स्वीमिंग पूल ।

:ट्यूबवेल एवं यू0जी0आर0 के साथ—साथ टेरेस पर कॉमन टैंक ।

: स्टिल्ट एवं ओपन पार्किंग ।

प्राविधान/शर्तें:

1. पंजीकरण पुस्तिका मे उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। निर्माण रेरा पंजीकरण में घोषित तिथि दिनांक 30.10.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। "Force majeure" तथा किसान आन्दोलन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि होने पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार अन्तिम मूल्य देय होगा तथा उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से मूल्य मे वृद्धि होने पर अधिकतम 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत परिवर्तन सम्भावित है।
2. भवनों की टाइप डिजाइन व ले-आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के आवंटियों से लोकेशन चार्जेज के रूप मे विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लिया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रत्येक फ्लैट के आवंटी को एक कार पार्किंग उपलब्ध होगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु रू0 100000.00 अतिरिक्त देय होगा। कार पार्किंग का आवंटन लाटरी ड्रा के आधार पर किया जायेगा।
5. प्रत्येक आवंटी की योजना के कुल सुपर एरिया मे आवंटित सुपर एरिया के अनुपात मे ही योजना की भूमि मे फ्री-होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।
6. प्रत्येक आवंटी को मल्टीप्लाइंट सिस्टम से विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा।
7. आवंटी को कब्जे से पूर्व निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा। स्टैम्प पेपर एवं विक्रय विलेख निष्पादन सम्बन्धी व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
8. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से 02 वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कार्पस फण्ड" में फ्लैट के स्वीकृत विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत धनराशि विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व देय होगी। इन्क्लेव में सर्व प्रथम व्यक्ति द्वारा दिये गये कब्जा की तिथि से 02 वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति को अनुरक्षण अपने स्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटी द्वारा देय होगा।
9. परिसर का रख-रखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त रख-रखाव एस0बी0आई0 एन्क्लेव हेतु गठित रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी का वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य

बनना अनिवार्य होगा।

10. सुपर एरिया पर रू0 1.00 प्रतिवर्गफिट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे—लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सिवियोरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्यूनिटी सेन्टर, विद्युत बिल, सफाई आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को प्रतिमाह अतिरिक्त देय होगा जो समय-समय पर रख-रखाव एजेन्सी यथा परिषद / रेजीडेन्ट सोसाइटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप घटाया बढ़ाया जा सकेगा।
11. पावर बैक—अप का सीमित प्राविधान किया गया है।
12. परिसर हेतु बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान है। इस परिसर में एक स्वीमिंग पूल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है। एस0बी0आई0 एन्क्लेव के अर्न्तगत निर्मित ब्लॉक—ए तथा विस्तार के अर्न्तगत प्रस्तावित ब्लॉक—बी को मिलाकर एक परिसर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका अनुरक्षण एवं संचालन एक ही आर0डब्ल्यू0ए0 द्वारा किया जाना है।
13. यदि भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स—वैट, सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0 आदि आरोपित किया जाता है अथवा प्रचलित दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आवंटी को वहन कराना होगा। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।
14. फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम किश्त जमा करने के छः माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा की धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की माँग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज सहित वापस करा दी जायेगी।
15. यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदनपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 स्व-वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा / सम्पत्ति सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। एस0बी0आई0 बैंक के नियमित कर्मचारी / अधिकारी को

लाटरी में वरीयता दी जायेगी।

4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार योजना, लखनऊ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 मांग पत्र निर्गमन के पश्चात् तीन माह के अन्दर आवेदक अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु 3 माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु चालान की मूल रसीद आवेदन पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद प्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगा और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 4.7 इस योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया स्टॉफ एसोसियेशन के सदस्यों तथा अन्य बैंक कर्मियों को ही आवंटित किया जाना

है, परन्तु किसी कारणवश समस्त फ्लैट का पंजीकरण न होने की दशा में अवशेष फ्लैट्स को किसी भी अन्य नागरिक को नियमानुसार आवंटित कराने हेतु परिषद स्वतंत्र होगी।

5. भुगतान का तरीका

- 5.1 पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांगपत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- 5.2 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांगपत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 09 त्रैमासिक किश्तों में परिषद द्वारा निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्राप्त कराये गये विशेष जमापर्ची के माध्यम से नगद/पेआर्डर/बैंकड्राफ्टजो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम पर देय हो एवं लखनऊ में देय हो, जमा करनी होगी अथवा सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में पे-आर्डर/बैंकड्राफ्ट के द्वारा जमा की जा सकेगी।
- 5.3 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को एस0बी0आई0 की प्रभावी ब्याज दर MCLR+1 अर्थात् 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत = 8.95 प्रतिशत say 9.00% सामान्य ब्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाये की तीन पंजीकरण नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5.4 यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5.5 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5.6 पंजीकरण के उपरान्त मांगपत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में नगद/पेआर्डर अथवा बैंकड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंकड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम पर पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित शहर लखनऊ में देय हो, मांगपत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट की श्रेणी आदि का विवरण सहित जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम:

- 6.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना मे आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति मे समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डाल कर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति मे प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भवपूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों एवं आवंटि की प्रार्थनापत्र पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, अवध विहार योजना, लखनऊ से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तर दायी होगा।
- 6.8 पंजीकरण एवं आवंटन के सम्बन्ध में परिषद में लागू समस्त नियम व शर्तें इस परियोजना पर भी लागू होंगी।

7. आरक्षण

क्र०सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियासते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनु सूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनु सूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ावर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक/सांसद/स्वतंत्रतासंग्रामसेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृतप्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूपमें उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अनतर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूत पूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाणपत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठनागरिक (आवेदन पत्र कोजमाकरने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर पूरा)	10	हाईस्कूल प्रमाणपत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र/पेंशन पेपर पर प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाणपत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाणपत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांगपर शेष मूल्य विदेशीमुद्रा (यू०एस०डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मनमार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदनपत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाणपत्र संलग्न करना है।

नोट:—उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधाननुसार श्रेणी 01 से 03 तक अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण

कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाणपत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे।

भूविस्थापितों के लिये प्राविधान:-

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 पात्रताचयन के पश्चात् असफल आवेदकों को यथासंभव एक माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते से वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

9.1 फ्लैट्स का निर्माण रेरा में दी गई तिथि 30.10.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खातों में भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर विलम्ब अवधि हेतु रख-रखाव शुल्क रू0 50.00 प्रतिदिन की दर से देय होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

9.4 आवंटन लाटरी में सफल आवेदको को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।

9.5 परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 की एस0बी0आई0 की प्रभावी ब्याज दर एम0सी0एल0आर0+1 के अनुसार 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत = 8.95 प्रतिशत say 9.00% की दर से ब्याज उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा जो अपनी किश्ते जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उसी

तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये तथा "Force majeure" की स्थिति में यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकारी नहीं होगा तथा उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, मृत्युप्रमाणपत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.7 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिकवृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।
- 11.8 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। भविष्य में परिषद द्वारा समय-समय पर यदि कोई नियम/शर्तें लागू होंगी तो वह आवेदक को मान्य होंगी।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

1. आवेदन पत्र हिन्दी ये अंग्रेजी मे भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
2. आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक) हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
3. अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि आवेदनपत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा मे किये जा सकते है।
4. आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप को ही प्रयोग करे जैसे :- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9।
5. आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो ग्राफ आवेदनपत्र पर यथा स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदनपत्र पर एवं आधा भाग फोटो ग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
6. एक ब्लाक (BLOCK)में एक वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
7. नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
8. आवेदनपत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु "M" एवं महिला हेतु "F" भरे तथा पति-पत्नी हेतु "HW" भरें।
9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय मे पंजीकरण पुस्तिका मे दिये गये विवरण से 2BHK एवं 3BHK मे किसी एक को भरना होगा।
10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका मे उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी मे माना जायेगा।
11. बैंकड्राफ्ट / पे-आर्डर को लेखा शीर्षक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम पर देय होगा, जो लखनऊ में देय होगा।
12. संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंकड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-12 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंकड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थनापत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

13. पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदन कर्ता को बैंक एकाउण्ट के माध्यम से वापिस कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में भुगतान विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदनपत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। आवेदक द्वारा अपने बैंक खाते का एक निरस्त चैक, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अत्यन्त सुविधा जनक रहेगा।
14. आवेदनपत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
15. अपूर्ण आवेदनपत्र/आवेदन-पत्रों में कटिंग किये हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
16. परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर को **M** तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
17. आवेदनपत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्यक सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहे।
18. आवेदनपत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (आधारकार्ड, वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रतिसंलग्न करना होगा।
19. तालिका में दर्शाये गये फ्लैट्स की संख्या घट बढ़ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठनागरिक	O
विस्थापित	W

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार:-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय:-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतो से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन:-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति:-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :-

विदेशीमुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पौंड, यू0एस0, डालर, जर्मनमार्क, जापनी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना)

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिए विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदनपत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर:-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं

अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति:—

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा अधिगृहित की गयी हों।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:—

1. जो उत्तरप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बंटों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
2. जो पेशावर कांड में रहे हो या जो भूतपूर्व आजाद हिन्दफौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य:—

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनु सूचित जाति/अनु सूचित जनजाति/अन्य पिछड़ीजाति

अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ीजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित ओदशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य:—

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांगव्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :—

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधीभर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य:—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जलसंस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:—

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधीभर्ती से नियुक्त हों।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

- अ) ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदन सर्व प्रथम वेबसाईट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For SBI Enclave Phase-2, Avadh Vihar Yojna, Lucknow" पर क्लिक करना होगा।
- ब) इसके पश्चात् खुलने वाले वेब-पेज पर आवश्यकतानुसार वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- स) आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर "Apply Online" पर क्लिक करना होगा।
- द) पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- ध) यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रताचयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- न) यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत मांगपत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। पात्रता चयन की तिथि से 03 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- प) उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।
- म) अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के RTGS/NEFT के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।

- य) प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्यकारणों से योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
- र) आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों की भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- ल) आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि/औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

एस0बी0आई एन्क्लेव फेज-2 की पंजीकरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मोती महल मार्ग, लखनऊ में, श्री बृजेश कुमार तिवारी, मो0 9695286785 एवं श्री विकास कुमार रावत, मो0 9140191139 से सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट : पंजीकरण आवेदन फार्म निर्धारित पंजीकरण शुल्क के बैंक ड्राफ्ट के साथ केवल भारतीय स्टेट बैंक में तथा आनलाइन जमा किये जा सकेंगे।

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद एवं एस0बी0आई0 के निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

इं0 डी0के0 श्रीवास्तव
अधीक्षण अभियन्ता
अवध विहार वृत्त
मो0नं0-8795811578

इं0 डी0के0 गुप्ता
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लखनऊ-9
मो0नं0-8795810089

डॉ0 अनिल कुमार
उप आवास आयुक्त
अवध विहार योजना, लखनऊ
मो0नं0- 8795810018

श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह
सम्पत्ति प्रबन्धक
अवध विहार योजना, लखनऊ
मो0 नं0-8795811528

श्री योगेन्द्र सिंह
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
लखनऊ
मो0नं0-9839190006



परिषद की दृष्टि

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पूर्ण आवास की समस्याओं का समाधान, सम्पदा विकास एवं पर्यावरण संरक्षित आवासीय एवं लघु व्यवसायिक टाउनशिप तथा शैक्षिक पार्क को विकसित करते हुए विश्व स्तर पर सम्मानित एवं विख्यात संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेगा।

उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में परिषद ग्राहकों के हित का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हित ग्रहियों के लिए न्यायोचित लाभ सुनिश्चित करेगा तथा अपने कार्यक्षेत्र के सभी आयामों में पूर्ण गुणवत्ता रखेगा।

शहर के प्रमुख स्थलों से न्यूनतम दूरी :

उत्तरेठिया रेलवे स्टेशन – 400 मीटर

जी.डी. गोयन्का स्कूल – 600 मीटर

मैदाना अस्पताल – 500 मीटर

अवध सिल्पग्राम – 200 मीटर



शहरी विकास में एक कीर्तिमान
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
जहां सब होते अपने घर के सपने

एस.बी.आई. एन्वलेव

**साढ़े चार दशकों से
निर्माण-गुणवत्ता एवं भरोसे का प्रतीक**



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधीमार्ग, लखनऊ

मूल्य : ₹ 500 (जी.एस.टी. सहित)